दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड,
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष 0141–2227267 फैक्स 0141–5115766
Website : http://industries.rajasthan.gov.in/rajsico
E-mail: rajsico@rajasthan.gov.in
CIN-U91110R1961SGC001118

कन्टेनर रिपेयर फेसिलिटी हेतु आमंत्रण

आई.सी.डी. जोधपुर एवं जयपुर में कन्टेनर रिपेयर फेसिलिटी हेतु अनुभवी पार्टियों को लीज रेन्ट पर स्थान उपलब्ध कराने हेतु आमंत्रित किया जाता है । सम्बन्धित शर्ते निगम की **Website** : http://industries.rajasthan.gov.in/rajsico पर उपलब्ध है ।

प्रबन्ध निदेशक

कन्टेनर रिपेयर फेसेलिटी के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान हेतु दर एवं शर्ते।

1– लीज रेन्ट की राशि आई.सी.डी. जयपुर के लिए रूपये 15000/– प्रति माह एवं आई.सी.डी. जोधपुर के लिए रूपये 25000/–प्रति माह ।

2– सिक्यूरिटी राशि प्रत्येक एजेन्सी से रूपये 50,000/– जमा करवानी होगी जो कि अनुबन्ध समाप्ति पर वापसी योग्य होगी । इस राशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज की राशि का भुगतान देय नही होगा।

3– पार्टी को किराया अग्रिम जमा कराना होगा। किराया राशि प्रत्येक माह की दिनांक 15 तक आगामी माह का किराया जमा कराया जाना अनिवार्य होगा । निम्न परिस्थितियो में सिक्यूरिटी राशि का समायोजन /जब्त की जावेगी ।

(अ) पार्टी की तरफ कोई भी बकाया राशि के पेटे समायोजन ।

(ब) पार्टी द्वारा निगम को किसी भी तरह की वित्तीय एवं उसके द्वारा किये गये कृत्य से होने वाली हानि एवं अनुबन्ध की शर्तो का पालन नही करने पर निगम द्वारा सिक्यूरिटी राशि की जब्त किया जा सकेगा ।

4– अवधि – यह फेसेलिटी प्रारम्भरिक तौर पर एक वर्ष के लिए दी जावेगी एवं एक साल बाद लीज रेन्ट की राशि का पुनः निर्धारण कर आपसी सहमति से फेसेलिटी की अवधि बढ़ायी जा सकती है ।

5– कोई भी पार्टी एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध को अवधि पूर्व समाप्त कर सकती है ।

6–किराया राशि मे पानी उपयोग की राशि सम्मिलित है। विद्युत व्यय के लिए पार्टी को अपना सब मीटर लगाना होगा एवं वास्तविक उपयोग के आधार पर भुगतान अतिरिक्त देय होगा ।

7–रिपेयर हेतु कन्टेनर की शिफ्टिंग करवाने पर पार्टी को आई.सी.डी की निर्धारित दर कन्टेनर हैण्डलिग चार्जेज का भुगतान अलग से करना होगा ।

8– पार्टी द्वारा निगम को भुगतान की जाने वाली राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी.देय होगा ।

9–ऐसी पार्टी इस हेतु योग्य नही होगी जिसकी तरफ निगम की कोई बकाया, वसूली योग्य राशि एवं विवाद लम्बित हो ।

10–पार्टी द्वारा मरम्मत कार्य हेतु रखे गये समस्त कर्मियो की सूची मय आई.डी. प्रूफ, आई.सी.डी. में जमा करवानी होगी ।

11–कन्टेनर मरम्मत के सम्बन्ध में शिपिंग लाईन एवं पार्टी के मध्य अनुबन्ध में निगम कोई पार्टी नही होगा । यह उन दोनों के मध्य सीधा अनुबन्ध माना जावेगा इसमें किसी प्रकार के विवाद होने पर निगम का कोई सम्बन्ध नही होगा ।

7/8/18

12–अनुबन्ध के सम्बन्ध में प्रशासनिक नियंत्रण प्रभारी आई.सी.डी का होगा एवं पार्टी द्वारा प्रभारी आई.सी.डी के निर्देशो की पालना करनी होगी ।

13–पार्टी द्वारा आई.सी.डी में कार्य सम्भालने से पूर्व अपने संस्थान से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन एवं पेन कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी । साथ ही संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि जिसके द्वारा निगम के साथ अनुबन्ध करने का अधिकार हो उसका अधिकृत पत्र एवं आई.डी प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।

14–दोनो पार्टियो के मध्य किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक राजसिको, सोल आर्बीट्रेटर होगे । सोल आर्बीट्रेटर का निर्णय दोनों पार्टियो को मान्य होगा ।

15– न्यायिक प्रकरणो हेतु क्षेत्राधिकार जयपुर होगा ।

7/8/18